(२१)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-5045-दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-01-2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का प्रकरण क्रमांक 764/अपील/2014-15

.....

1- अमरावती पति स्व. मेवालाल जायसवाल
2- अमृतलाल पिता स्व. मेवालाल जायसवाल
3- सुशील पिता स्व. मेवालाल जायसवाल
4- सावित्री पिता स्व. मेवालाल जायसवाल
5- निर्मल पिता स्व. मेवालाल जायसवाल
निवासीगण- ग्राम बिझौली गहरवरान, तहसील हनुमना
जिला- रीव(म.प्र)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

1- बालेन्द्रधर
2- शैलेन्द्रधर
3- बीरेन्द्रधर
4- शीला
5- सावित्री, पांचों की माता रामपती पूर्व पति नर्मदा प्रसाद
निवासीगण - ग्राम पिडरिया, तहसील हनुमना
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------अनावेदकगण

.....

श्री ए.एल. जायसवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मनोज कुमार द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/7/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-01-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका रामपती द्वारा ग्राम पिड़रिया स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 109/2ख रकबा 1.202 हैक्टेयर की भूमि का व्यवस्थापन किये जाने हेतु नायब तहसीलदार, वृत्त खटखरी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 7/अ-19/1987-88 में दिनांक 08-12-87 से व्यवस्थापन का आदेश पारित किया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक मेवालाल(मृतक) ने अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील पेश की जो प्रकरण क्रमांक 255/अ-19/1991-92, 103/ए-19/2014-15 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 23-07-2015 से अपील स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीव संभाग रीव के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 764/अपील/2014-15 में दिनांक 19-01-2016 से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 23-07-2015 को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19-01-2016 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार हनुमना ने 8-12-87 को सर्वे 109/2ख काबिज काश्त भाग् का 3 भूमि अक्टूबर 84 के नियमानुसार शेष 1.202 हैक्टेयर को पटवारी प्रतिवेदन खसरा मौका पात्रता अनुसार बेवाओं को व्यवस्थापित किया । स्व. मेवालाल द्वारा उक्त विवादित भूमि के अंश भाग का 61-62द से कब्जादार बताया है जबकि उनकी उमर 11 वर्ष की थी । कब्जेदार का दावा करना हास्यास्पद है । अपर आयुक्त के समक्ष 12 वर्ष बाद इसकी निगरानी स्वप्रेरणा में लिये जाने का प्रकरण दिनांक 07-02-2002 को निरस्त किया गया । पुन: इसकी निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 22-01-2003 को निरस्त की गई । इस भूमि के स्वत्व घोषणा का सिविल वाद दिनांक 15-03-2011 को व्यवहार न्यायालय से निरस्त किया गया तथा व्यवस्थापन आदेश को सही माना है। माननीय जिला न्यायाधीश ने भी इसे दिनांक 13-01-2014 को सही माना तथा व्यवस्थापन एवं राजस्व मण्डल के निर्णय को उचित माना है । माननीय उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 16-05-2007 के आदेश में

उक्त भूमि के अंश भाग पर निगरानीकर्ता को अतिक्रमण माना है । दिनांक 11-01-2016 के आदेश से अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23-07-2015 को निरस्त किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में पाया कि व्यवस्थापित भूमि पर आवेदक ने बेकब्जा किया जिसकी अपील दर अपील के पश्चात भी अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने अतिक्रमक माना तथा व्यवहार न्यायालय तथा जिला न्यायधीश ने भी व्यवस्थापन के आदेश को उचित पाया है । भूमि का व्यवस्थापन दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के तहत किया गया उक्त आवंटन आदेश मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता धारा 44(1) के तहत अपीलनीय नहीं है । काशीराम बनाम अमर सिंह 2004 रा.नि. 332 धारा 44(1) उल्लेखित है। जब नायब तहसीलदार के आदेश की निगरानी हुई तब उसी आदेश की अपील न्यायोचित नहीं है दोनों लाभ नहीं लिये जा सकते । धानूराम बनाम अर्जुन रा.नि. 1992 पी-135

जब व्यवस्थापन व्यवहार न्यायालय तथा जिला न्यायधीश ने भी सही ठहराया गया तब उस पर अनुविभागीय का आदेश औचित्यहीन है।

4/ उपरोक्त स्थिति में दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किये जाने का विशेष उपबंध1984 के तहत काबिल काश्त भूमि पर मौका, कब्जा पात्रता नियामनुसार नायब तहसीलदार का आदेश जो कि माननीय सिविल न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश द्वारा भी सही ठहराया गया को अपर आयुक्त द्वारा पूर्ण सुनवाई उपरांत न्यायोचित पाये जाने से यथावत रखा जाता है । निगरानी आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है ।

12/7/18

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,